?/17 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार फरीकैन उपस्थित
[illegible] हाजिर/गैरहाजिर है।
गत आदेशानुसार दिनांक 11/4/17 को पेश है

11/4/17 - वकील वादी एवं वकील वादी
द्वारा पेश बहस [illegible] [illegible] [illegible]
पत्रावली वास्ते कार्यवाही दि० 28/4/17
को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

28/4/17 आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पर पेश हुई। वकील पक्षकारान एवं वकील वादी द्वारा [illegible] [illegible] पेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वकील पक्षकारान की [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] वकील पक्षकारान ने [illegible] को [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वकील पक्षकारान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली का [illegible] को [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] हो।

ओमप्रकाशमाली

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सावरदा, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 133/2016
वाद दायरी दिनांक : 13/07/2016
निर्णय दिनांक : 22/06/2017

1. गोपाल लाल पुत्र बींजा जाति माली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. श्रवणलाल पुत्र बींजा जाति माली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र बींजा दत्तक पुत्र बोदूराम जाति माली निवासी सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
2. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्राज

(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधि0–1955)

उपस्थिति – *श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत*
श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22/06/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 261 खसरा नम्बर 1752 रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम सावरदा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हैं जिसका वादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 का वादी संख्या 2 हिस्सा 1/3 का एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार हैं एवं काबिज काश्त है। वादीगण व प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 तीनो सगे भाई है एवं स्वर्गीय बींजा के जायन्दा पुत्र हैं स्व. बोदू वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा थे जो नाऔलाद ही फौत हो गये एवं किसी को भी गोद नहीं लिया एवं स्व. बोदू पुत्र भूरा की आराजी में वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है एवं मौके पर काबिज काश्त है। स्व. बोदू की फौती के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 शामलाती रूप से निवास करते थे और उस समय वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका था प्रतिवादी संख्या 1 नानगराम परिवार का मुखिया व कर्ता खानदान था जो घर की समस्त लेन देन का कार्य करता था वादीगण को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में शामलाती निवास करने के दौरान ही प्रतिवादी संख्या 1 स्व. बोदू जो नाऔलाद फौत हो गया था जिसने अपने जीवन काल में कभी कोई गोदनामा तहरीर नहीं किया न ही सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ने राजकीय कारकुनानों से मिलकर स्व. बोदू की विरासत की आराजी अपने स्वयं अकेले के नाम से दर्ज करवा ली जिसकी जानकारी वरवक्त इन्द्राज वादीगण को नहीं हो सकी जबकि मौके पर तीनों भाईयों ने बराबर बांटकर वर्तमान में काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने जब राजस्व कैम्प के दौरान आराजी का विधिवत बंटवारा करने के लिये राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो दिनांक 10.06.2016 को प्रथम बार स्व. बोदू की आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई वादीगण ने नकल जमाबन्दी प्राप्त के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से इस बाबत जानकारी चाही तो प्रतिवादी संख्या 1 जानकारी देना उचित नहीं समझा व वादीगण के हिस्से की आराजी नाम लगाने से दिनांक 15.06.2016 को साफ इन्कार हो गये। इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में वादीगण 1/3, 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं डिक्री की पालनार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलबाजी नहीं करें न स्वयं करें न अन्य से करावें।

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 17/01/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री संजय सिंह सिरोही एडवोकेट उपस्थित हुये। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 22/06/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सावरदा में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार उपस्थित हुआ। कैम्प में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुये। वकील पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहस कैम्प कोर्ट सावरदा में मजमे आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खतौनी संख्या 261 एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादीगण ने अपने वाद–पत्र में अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 तीनो सगे भाई है एवं स्वर्गीय बींजा के जायन्दा पुत्र हैं स्व. बोदू वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा थे जो नाऔलाद ही फौत हो गये एवं किसी को भी गोद नहीं लिया एवं स्व. बोदू पुत्र भूरा की आराजी में वादीगण का 1/3, 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है एवं मौके पर काबिज काश्त है। इसी अनुसार नाम दर्ज होनी चाहिये, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली, जो कि गलत हैं'' वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में दर्ज सजरा अनुसार पक्षकारान एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना एवं बींजा के वारिस होना साबित होते हैं, बींजा का भाई बोदू है, जिसको सजरा में नाऔलाद फौत बताया गया है, जिस सम्बन्ध में मजमे आम में जानकारी करने पर बोदू का नाऔलाद फौत होना पाया गया, इसलिये कानूनन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बोदू के नजदीकी वारिस अर्थात भाई बींजा के लडके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्से अनुसार ही नामान्तरकरण खुलना चाहिये था। प्रतिवादी संख्या 1 को अकेले अपने नाम से आराजीयात दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नही था तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं दावा डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताकर पूर्ण सहमति दी हैं इस प्रकार वादीगण

Scanned by CamScanner

अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्ण सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 261 के आराजी खसरा नम्बर 1752 कुल किता 01 कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम सावरदा, तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज हिस्से को हजफ किया जाकर वादीगण को 2/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.17 को मजमे आम ग्राम पंचायत सावरदा में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

शिविर प्रभारी/सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक),
दूदू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

राज प्रकाशन प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31..

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू, शिविर जयपुर
श्री त्रिलोक चन्द मीणा, आर.ए.एस.
भोलीराम 2. शिवराम [illegible] बनाम 1. नानगराम पुत्र [illegible] [illegible] पुत्र [illegible]
[illegible] जाति दावा बाबत घोषणा, स्थाई निषेध व [illegible] जाति [illegible] [illegible]
[illegible] मुकदमा नं. 133/2016

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र सिंह, [illegible]
मिनजानिब मुदई रूबरू श्री [illegible] सिंह [illegible]
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा [illegible] स्वीकार कर जारी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को खसरा [illegible] खसरा नं. 1752 कुल [illegible] कुल रकबा 1.05 हैक्टेयर [illegible] तहसील मौजमाबाद में प्रतिवादी सं. 1 के [illegible] हिस्से का [illegible] [illegible] का 2/3 हिस्सा का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/3 [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

यगी तक .... का अदा करें।

आज ता. मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2017 को दी गई।

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[illegible] सबूत			महन्ताना वकील		
वकील			खर्चा गवाहान		
[illegible]न			फीस कमिश्नर		
[illegible]श्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[illegible]राय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीज़ान			मीज़ान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner